अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

न्यायालय, उपायुक्त, रॉची

एफ०एस०एस० वाद सं० 21/2017–18

22.11.2022

कृष्णा प्रसाद सिंह
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
सी०एम०ओ० कार्यालय
सदर अस्पताल परिसर, रॉची .... परिवादी/आवेदक

बनाम

1. प्रबंध निदेशक
मेसर्स फ्युचर कंज्यूमर लि०
प्लॉट सं० 503, होल्डिंग सं० 307ए०, धुमसा टोली, रॉची – 834001
2. संजीव पाल पिता सचिन्द्र नाथ पाल
प्रभारी मेसर्स फ्युचर रिटेल लि०
न्युकियस मॉल, सर्कुलर रोड, रॉची .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी कृष्णा प्रसाद सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सी०एम०ओ० कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, रॉची एवं अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 246 दिनांक 18.12.2017 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरूद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हे धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले मे अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची से सं० 245 दिनांक 18.12.2017 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के तौर रॉची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये है तथा विश्लेषण के निमित खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होने दिनांक 24.10.2017 को लगभग

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

3:45 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरिक्षण किया तथा उनके दुकान से 200 ग्राम X 4 पैकेट "गोडेन हार्वेस्ट" साबूदाना का नमूना विश्लेषण हेतु क्रय किया। तदोपरान्त उसे चार भाग मे बॉट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमे RAN/1567 का कोड अंकित किया तथा उसमे विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI मे ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया।

खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:402/एफ०एस०एस०ए०/2017 दिनांक 07.11.2017 के अनुसार उपरोक्त "गोडेन हार्वेस्ट" साबूदाने का नमूने धारा 3(zx) के अन्तर्गत अवमानक है क्योंकि उसमे Total Ash OBD तथा Ash Insoluble in Dilute HCL OBD की मात्राा मानक से अधिक पायी गई।

प्रस्तुत वाद मे सम्मन जारी करने के पश्चात् विपक्षी इस न्यायालय मे उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कारण पृच्छा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नही किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे इस वाद मे कोई अभिरूचि नही है। अतः यह वाद विपक्षी के अनुपस्थिति मे एकपक्षीय सुनवाई करने के उपरान्त अभिलेख मे मौजूद साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:402/एफ०एस० एस०ए०/2017 दिनांक 07.11.2017 से प्रमाणित होता है कि उपरोक्त "गोडेन हार्वेस्ट" साबूदाने का नमूने धारा 3(zx) के अन्तर्गत अवमानक है क्योंकि उसमे Total Ash OBD तथा Ash Insoluble in Dilute HCL OBD की मात्राा मानक से अधिक पायी गई तथा इसप्रकार विपक्षी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 51 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होता है। धारा 51 के अनुसार कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या आयात करता है शास्ती (Penalty) का, जो तीन

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

लाख रूपए तक की हो सकेगी, देय होगा।

अतः विपक्षी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता तथा आरोपी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान मे रखते हुए यह कार्यवाही विपक्षी के खिलाफ रू० 25,000/— (रूपये पचीस हजार मात्र) आर्थिक दण्ड के साथ समाप्त की जाती है।

अभिहीत अधिकारी आरोपी से उक्त शास्ती (Penalty) की जमा करने के लिए Adjudication Officer-Cum-Deputy Commissioner, Ranchi के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शास्ती (Penalty) जमा करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। यदि अभियुक्त/विपक्षी डिमांड निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आरोपी के खिलाफ बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा और तब तक डिफॉल्टर का लाइसेंस (यदि कोई हो) निलंबित रहेगा। इसके अलावा अभिहित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अभियुक्त/विपक्षी के खाद्य लाइसेंस के निलंबन रहने के दौरान वे कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे ।

इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी— सह— अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वर्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर रॉची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रॉची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

Rahul

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

Rahul

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:59:20 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d